

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद सदर।

ज्ञापांक- 547 / दिनांक- 29/08/2023.


प्रेषित,

1. गीता देवी, पति-स्व0 जगदीश प्रसाद केशरी,
 2. कृष्ण बिहारी केशरी,
 3. मनोज कुमार केशरी,
 4. उत्तम कुमार केशरी,
- पिता-स्व0 जगदीश प्रसाद केशरी,
सा0-धैया,
जिला-धनबाद।

श्री पूरन राय, राजस्व उप निरीक्षक, हल्का सं0-II के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है, कि :-

आवेदित भूमि मौजा-धैया मौजा नं0-06 में खाता सं0-196 गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। परन्तु संबंधित भूमि को तत्कालीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक-1557/आर, दिनांक-01.07.1989 के द्वारा स्वीकृति उपरान्त तत्कालीन उपायुक्त, धनबाद के द्वारा निबंधित दलील सं0-3123, दिनांक-20.05.1992 (डीड ऑफ एक्सचेन्ज) के माध्यम से रैयती भूमि के बदले मौजा-धैया मौजा नं0-06 खाता सं0-196, प्लॉट नं0-504, रकवा-82डी0 गैरआबाद खाते की भूमि श्रीमती गीता देवी के पति-स्व0 जगदीश प्रसाद केशरी एवं अन्य को प्राप्त है।

विदित हो कि तत्कालीन उपायुक्त, धनबाद के न्यायालय में दायर मिस वाद सं0-02/2021 में पारित आदेशानुसार मौजा-धैया मौजा नं0-06 खाता सं0-196, प्लॉट नं0-504 भूमि को रैयती अधिकार प्राप्त है। तदनुसार उक्त खाता, प्लॉट का रकवा-41डी0 भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया गया है। ऑफलाईन जमाबंदी सं0-5864, खाता सं0-196, प्लॉट नं0-504, रकवा-41डी0 भूमि उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज केस नं0-210(II)/2016-2017 के अदेशानुसार (1) गीता देवी, पति-स्व0 जगदीश प्रसाद केशरी, (2) कृष्ण बिहारी केशरी, (3) मनोज कुमार केशरी एवं (4) उत्तम कुमार केशरी, पिता-स्व0 जगदीश प्रसाद केशरी के नाम से जमाबंदी कायम है। जिसका ऑनलाईन भाग सं0-03, पृष्ठ सं0-323 में दर्ज है।



अंचल अधिकारी,
धनबाद।

